सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या–5
उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र की
31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये हस्त पुस्तिका

भारत का लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

कार्यालय महालेखाकार
आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–5

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राक्कथन

यह पुस्तिका भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन की संक्षिप्त विषय वस्तु प्रस्तुत करती है।

संविधान के अधिदेशाधीन, नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1971, की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है।

हमने खनन प्राप्तियाँ, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर और राज्य आबकारी से सम्बन्धित 580 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। इसमें कुल ₹ 3,240.99 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 2,673 मामले पाये गये।

प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 26 प्रस्तर हैं। सम्पूर्ण प्रतिवेदन और यह हस्तपुस्तिका हमारी वेबसाइट एजीयूपी.सीएजी.जीओवी.इन पर उपलब्ध है।

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नोटः *यद्यपि सम्बन्धित प्रतिवेदन से इस विषय–वस्तु के प्रकाशन में समरूपता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक प्रयत्न किया गया है, किसी विसंगति की दशा में जो तथ्य एवं आँकडे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताये गये हैं, अन्तिम होंगे या उस सीमा तक प्रभावी होंगे।*

सामान्य

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 1,93,421.60 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,27,075.94 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 81,106.26 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 23,134.65 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 1,04,240.91 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का केवल 46 प्रतिशत ही उगाह सकी।

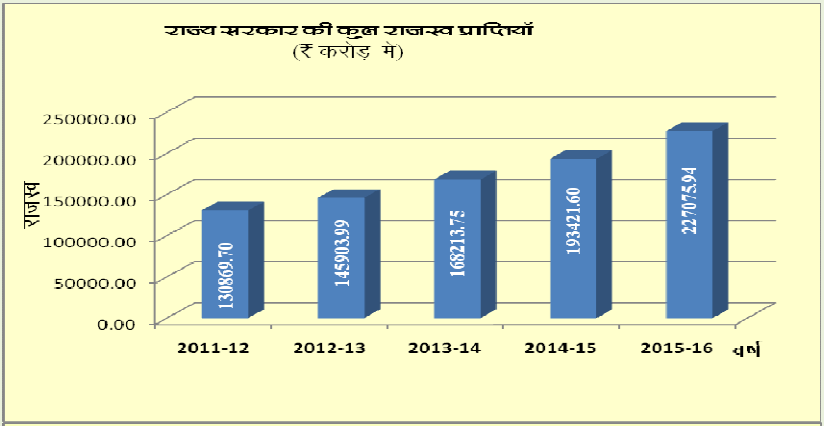

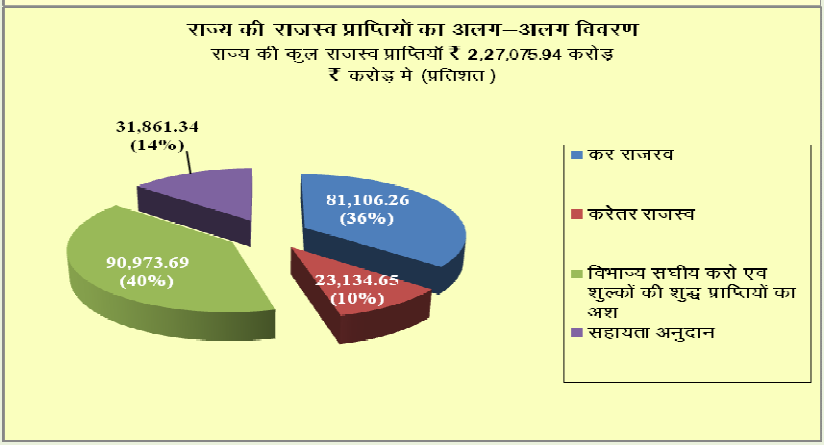

भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 1,22,835.03 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 90,973.69 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 31,861.34 करोड़) थी। वर्ष 2015–16 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 47,692.40 करोड़) एवं अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (₹ 1,222.17 करोड़) क्रमशः कर एवं करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे।

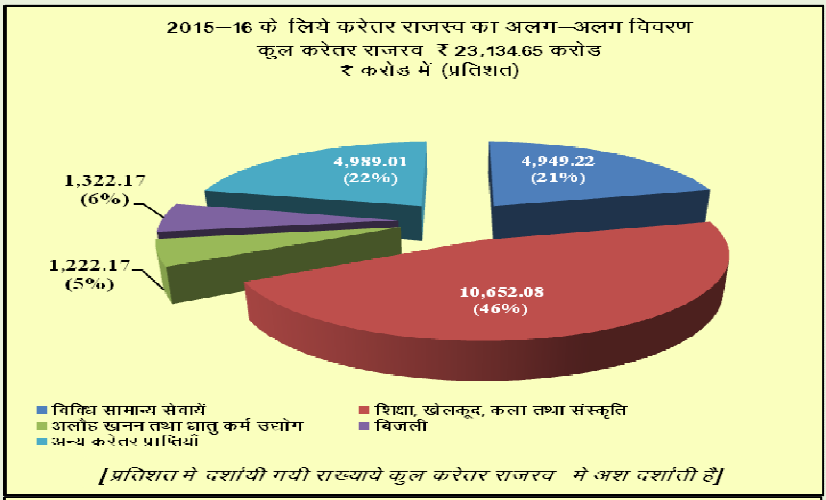

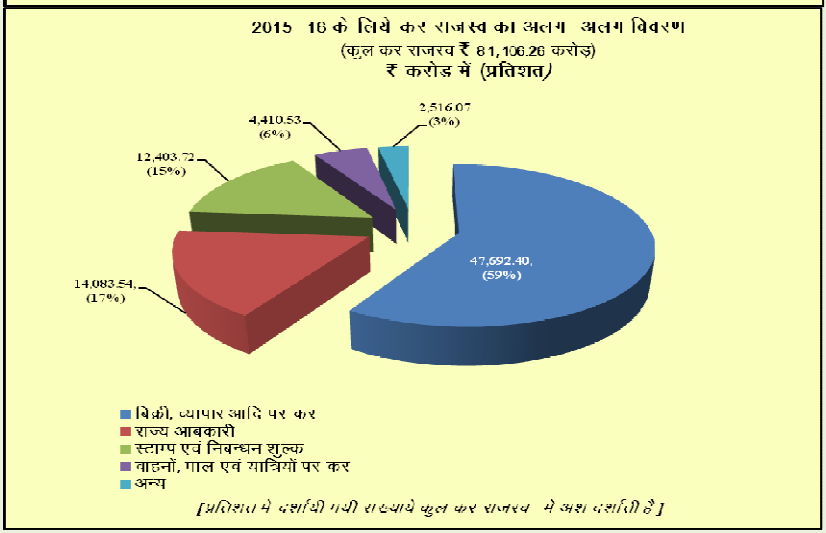

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

भू–तत्व एवं खनिकर्म, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और राज्य आबकारी विभाग की लेखापरीक्षा योग्य 2,352 इकाइयों में से हमने 580 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 3,240.99 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 2,673 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 788 मामलों में ₹ 1,552.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने 277 मामलों में ₹ 1.73 करोड़ की धनराशि की वसूली किया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और तीन लेखापरीक्षा सहित 26 प्रस्तर सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 2,895.55 करोड़ हैं।

प्रमुख अंश

निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के कार्य–कलाप की एक निष्पादन लेखापरीक्षा सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 596.77 करोड़ में कर प्रशासन में अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त प्रणालीगत विषयों को दर्शाया गया।

प्रमुख अंश

तीन लेखापरीक्षायें

भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन की लेखापरीक्षा,

उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली की लेखापरीक्षा एवं

रू-टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा

प्रमुख अंश

अनुपालन लेखापरीक्षा

रायल्टी, खनिजों का मूल्य, अर्थदण्ड एवं ब्याज की धनराशि ₹ 7.27 करोड़ की वसूली 212 मामलों में नहीं की गयी।

कर/अतिरिक्त कर और अर्थदण्ड की ₹ 15.69 करोड धनराशि 10,494 मामलों में आरोपित एवं वसूल नहीं की गयी।

कर के न/कम आरोपण, टर्नओवर के छिपाये जाने, कर के विलम्ब से जमा, प्रवेश कर के न/कम आरोपण, आई0टी0सी0 के उत्क्रमित न किये जाने और अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण के ₹ 20.07 करोड़ के 229 मामले थे।

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की ₹ 7.60 करोड़ धनराशि 162 मामलों में कम आरोपित की गयी।

मनोरंजन कर ₹ 15.07 लाख की धनराशि 27 मामलों में कम वसूल की गयी।

बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति जमा 1,075 मामलों में व्यपगत नहीं की गयी थी और 364 मामलों में लाइसेंस फीस नहीं आरोपित की गयी थी जो ₹ 46.77 करोड़ था।

निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के कार्य–कलाप

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

हल्के चार पहिया माल वाहनों पर एकबारीय कर का कम आरोपण तथा स्कूल मैक्सी कैब वाहनों पर कर का कम आरोपण

नवम्बर 2009 एवं मार्च 2016 के मध्य 26,592 चार पहिया हल्के माल वाहनों और स्कूल मैक्सी कैब पर एकबारीय कर ₹ 26.79 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.3.9 व 3.3.10)

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 और यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

नवम्बर 2009 एवं मार्च 2016 के मध्य नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं शास्ति ₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया और यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों पर अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त कर ₹ 360.33 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.3.14)

निष्पादन लेखापरीक्षा

बन्धक अनुबन्धों के साथ पंजीकृत वाहनों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया जाना

कुल 12,41,085 वाहन सन्निहित मूल्य धनराशि ₹ 43,564.38 करोड़ बैंकों में बंधक थे। विभाग द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार शासन ₹ 162.70 करोड़ की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

(प्रस्तर 3.3.26)

वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

फरवरी 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 9,942 वाहनों पर अर्थदण्ड सम्मिलित करते हुये ₹ 4.56 करोड़ स्वस्थता शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। ऐसे वाहनों के संचालन ने लोक सुरक्षा से भी समझौता किया।

(प्रस्तर 3.3.15)

ठेका एवं मंजिली वाहनों पर प्रशमन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया

अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2016 के मध्य ठेका एवं मंजिली वाहनों पर परमिट शर्तो के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.76 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 3.3.18)

निष्पादन लेखापरीक्षा

अन्य प्रेक्षण:

दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना और इसका प्रभाव

विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण अप्रैल 2012 एवं मार्च 2016 के मध्य ₹ 109.06 करोड़, दुर्घटना पीड़ितों के लिये जमा नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3.3.17)

कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण

जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा 839 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों जिनको अधिक भार लदान के लिये बन्द किया गया था के प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.3.19)

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सूचना की कमी

परिवहन कार्यालयों के पास प्र0नि0प्र0 के साथ या बिना प्र0नि0प्र0 के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना न होने के साथ ही साथ वाहनों के प्रदूषण की जाँच के लिये आधारभूत संरचना नहीं थी।

(प्रस्तर 3.3.22)

निष्पादन लेखापरीक्षा

विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया था। स्वीकृत पदों के सापेक्ष अनुषंगिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप कार्य की अधिकता थी और राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 3.3.29 व 3.3.31)

विभागीय मैनुअल का अस्तित्व में न होना

सात वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी विभागीय मैनुअल अस्तित्व में नहीं है। विभाग ने विभागीय मैनुअल को तैयार किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया।

(प्रस्तर 3.3.27)

निष्पादन लेखापरीक्षा

हम संस्तुति करते हैं कि शासन विचार कर सकता है:

जन सुरक्षा के हित में और राजस्व की हानि से बचने के लिये सभी वाहनों के स्वस्थता की जाँच जो प्रतीक्षित हैं, त्वरित कदम उठाये जाने हेतु,

अधिनियम/नियमावली के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एवं यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अन्तर्गत संचालित वाहनों/बकायेदार वाहनों से राजस्व की वसूली की निगरानी के लिये डी0सी0बी0 पंजिका की समय–समय पर समीक्षा हेतु एक तंत्र की स्थापना हेतु,

लापरवाही और संलिप्तता के प्रकरणों में विपथगामी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना चाहिए,

प्रदूषण मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरणों के साथ पर्याप्त यातायात कार्मिकों की तैनाती हेतु, और

विभागीय मैनुअल यथाशीघ्र तैयार करने एवं अंगीकृत करने हेतु।

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

''भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन'' की लेखापरीक्षा

उपखनिजों का उत्खनन पाँच पट्टाधारकों और 2,909 ईंट भट्टा मालिकों द्वारा किया गया था। इन्हें खनिजों के उत्खनन की अनुमति बिना किसी पर्यावरण मंजूरी (पम) के दी गयी थी, 30 पट्टाधारकों को पम में अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी एवं 40 पट्टाधारकों द्वारा 191.77 एकड़ की पट्टा भूमि में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था। अग्रेतर, इन उल्लंघनों के लिए शासन ने खनिजों का मूल्य धनराशि ₹ 179.57 करोड़ वसूल नहीं किया।

(प्रस्तर 2.4.5 से 2.4.9)

अट्ठावन पट्टाधारकों के मामलों में खनन योजना को दाखिल करने एवं अनुमोदन की आवश्यकता की उपेक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त 15 पट्टाधारकों को खनन योजना का नवीनीकरण कराये बिना खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति दी गयी थी तथा 12 पट्टाधारकों को खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से बहुत अधिक खनिज के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी। इस प्रकार, खनन नियामकों का खनन की पर्यावरणीय संवेदी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं था एवं दुर्लभ संसाधनों को निर्विवाद रूप से दोहन की अनुमति दी गयी। शास्ति ₹ 282.22 करोड की वसूली के द्वारा भी इस उल्लंघन की भरपाई नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.4.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

''भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन'' की लेखापरीक्षा

विभाग ने अनिवार्य त्रैमासिक विवरण के प्रस्तुतीकरण, दरों के संशोधन से रायल्टी के अन्तर की वसूली, खनिजों के मूल्य का आकलन करना एवं रायल्टी/अपरिहार्य भाटक आदि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुश्रवण नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने तथ्यों की विरुद्ध जाँच नहीं किया जिससे अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन हुआ। इस प्रकार, शासन राजस्व ₹ 477.93 करोड़ से वंचित रहा।

(प्रस्तर 2.4.12 से 2.4.17)

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

''भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन'' की लेखापरीक्षा

हम निम्नलिखित संस्तुति करते हैं:

खनन योजना/पर्यावरण मंजूरी के अनुमोदन के पश्चात ही उपखनिजों के उत्खनन की अनुमति दी जानी चाहिए।

लापरवाही और/या संलिप्तता की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए।

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 84 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्रों के संचालित 6,304 वाहनों पर शास्ति के साथ ₹ 2.88 करोड़ का स्वस्थता शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। ऐसे वाहनों का संचालन जन सुरक्षा से भी समझौता था।

(प्रस्तर 3.7.1)

विभाग नें विभिन्न श्रेणियों के अधिक भार लदान के जब्त वाहनों के 591 मामलों पर कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 3.9)

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

"उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली " की लेखापरीक्षा

बकाये की धनराशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 16,665.41 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 27,188.58 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 63.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

(प्रस्तर 4.4.5.1)

माँग पत्र के तामील न कराये जाने अथवा असामान्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण 979 मामलों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ का बकाया सन्निहित था की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.4.7.1)

अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये 604 रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण ₹ 233.60 करोड़ का देय बिना वसूली के रहा।

(प्रस्तर 4.4.9)

दावों को विलम्ब से दाखिल किये जाने एवं शासकीय समापक (शा0स0) के साथ अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ की देयता बिना वसूली के रह गयी।

(प्रस्तर 4.4.12)

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

"उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली " की लेखापरीक्षा

हम संस्तुति करते हैं कि शासन विचार कर सकता है:

बकाये की वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रत्येक जिले में कर वसूली अधिकारी की तैनाती एवं समर्पित वसूली तंत्र स्थापित करने पर।

समय से रा0व0प्र0प0 जारी करने के लिए प्रणाली स्थापित करने पर।

बकाया की वसूली की जा सके इसके लिये अन्य जिलों/राज्यों के अपने समकक्ष प्राधिकारियों जिन्हें रा0व0प्र0प0 जारी किये गये हैं, के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करने पर।

उनके साथ दर्ज किये गये दावों की अनदेखी एवं वसूली प्रभावित न हो इसके लिये औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एवं शासकीय समापक जिन्होंने बकायेदार व्यापारियों की परिसम्पत्तियों को सम्बद्ध कर रखा है, के साथ नियमित समन्वय के लिए तंत्र विकसित करने पर।

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

पचास वा0क0का0 से सम्बन्धित 69 व्यापारियों के मामलों में 2008–09 से 2012–13 की अवधि में कर की गलत दर को लागू करने के कारण अर्थदण्ड के साथ ₹ 5.66 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ था।

(प्रस्तर 4.6)

पचास वा0क0का0 से सम्बन्धित 74 व्यापारियों के मामलों में 2007–08 (वैट) से 2013–14 की अवधि मे टर्नओवर के छिपाये जाने, कर के विलम्ब से जमा किये जाने एवं गलत खरीद पर ₹ 6.23 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.7)

चौदह वा0क0का0 से सम्बन्धित 23 व्यापारियों के मामलों में 2009–10 से 2012–13 की अवधि मे सही दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किये जाने एवं क्रय पर प्रवेश कर में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के प्रवेश कर का कम/ अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.8)

आठ वा0क0का0 से सम्बन्धित आठ व्यापारियों के मामलों में 2006–07 से 2012–13 की अवधि में स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 2.17 करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.10)

पैंतीस वा0क0का0 से सम्बन्धित 45 व्यापारियों के मामलों में 2009–10 से 2012–13 की अवधि में आई0टी0सी0 दावों में ₹ 3.29 करोड़ की अनियमिततायें जैसे अनियमित/ अननुमन्य आई0टी0सी0 के दावे, अधिक दावे, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना, अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि थीं। **(प्रस्तर 4.11)**

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर" की लेखापरीक्षा

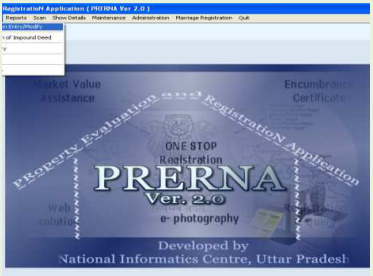

सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की अपेक्षित विशिष्टियों (सा0अ0वि0) का अभाव, सॉफ्टवेयर विकास एजेन्सी द्वारा विलम्ब से निष्पादन, उ0नि0का0 के मध्य पार्श्व संयोजन तथा ऑनलाइन भेंट नियत करने एवं दस्तावेज को प्रस्तुत करने के प्रावधानों जैसी कमियाँ थीं।

(प्रस्तर 5.4.5)

उप निबन्धक कार्यालय द्वारा सॉफ्टवेयर में खोज उपयोगिता का प्रयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भूमि का कृषि दर पर मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹ 3.16 करोड़ का तथा भूमि के अवमूल्यन के कारण ₹ 1.72 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.4.8)

विभाग के पास अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति, पहुँच नियंत्रण प्रणाली एवं प्रेरणा के सही तरह से प्रयोग एवं प्रवर्तन के लिये आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था।

(प्रस्तर 5.4.9)

विभाग सी0आर0के0ए0 की जाँच, ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों का समय सीमा से लॉक किया जाना तथा ई–स्टाम्प के माध्यम से उ0नि0का0 वार एकत्र किये गये राजस्व का विवरण जैसे उ0प्र0 ई–स्टाम्पिंग नियमों के अनुपालन में विफल रहा।

(प्रस्तर 5.4.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

"स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर" की लेखापरीक्षा

संस्तुतियाँः

प्रेरणा के सम्बन्ध में हम संस्तुति करते है कि शासनः

सॉफ्टवेयर में रेखांकित न किये गये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को रेखांकित करने पर विचार कर सकता है।

लेखपत्रों पर स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के कम आरोपण को रोकने के लिए उ0नि0का0 द्वारा सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति, पहुँच नियंत्रण प्रणाली तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का कार्यान्वयन कर सकता है।

ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के सम्बन्ध में हम संस्तुति करते है कि शासनः

उ0प्र0 ई–स्टाम्पिंग नियमावली के के0अ0अ0अ0 के निरीक्षण तथा ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों को लॉक करने से सम्बन्धित प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन कर सकता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

आवासीय भूमि 3.55 लाख वर्ग मीटर को गलत ढंग से कृषि दर पर ₹ 40.64 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 149.15 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम अरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.6)

आवासीय घोषित 55,679 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय दर पर ₹ 19.56 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 4.84 करोड़ में निबन्धित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.79 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.7)

अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मनोरंजन कर

केबिल संचालकों पर ₹ 24.83 लाख मनोरंजन कर देय था किन्तु उनके द्वारा मात्र ₹ 9.76 लाख ही जमा किया गया और ₹ 15.07 लाख अभी वसूल नहीं किया गया है।

(प्रस्तर 6.5)

राज्य आबकारी

अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं जमा की गयी। इस विफलता के लिए दो जि0आ0का0 में 1,007 मामलों में व्यवस्थापन का निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के समपहरण की कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं प्रारम्भ की गयी थी।

(प्रस्तर 6.10)

तेईस जि0आ0का0 द्वारा 364 अनुज्ञापियों पर एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन शुल्क आरोपित नहीं किया गया जिससे वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान शासन ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

(प्रस्तर 6.11)

टिप्पणी

टिप्पणी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2016

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन

क्यू आर
कोड़ के
लिये स्थान

सम्पूर्ण प्रतिवेदन के लिये क्यू आर स्कैन करें।